

कार्यालय- मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : शिविर(बे०)/

914

/नवीनीकरण/2021-22/

दिनांक 22 दिसम्बर, 2021

नवीनीकरण आदेश

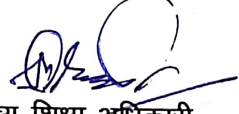
इस कार्यालय के पत्रांक शिविर (प्रा०)/7996-8001/मान्यता/2015-16 दिनांक 31.03.2016 के द्वारा सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, ब्राह्मणवाला, रायपुर, देहरादून को कक्षा-1 से कक्षा-08 तक (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय संचालन की अनुमति दिनांक 31.03.2021 तक प्रदान की गयी थी। आपके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र के आधार पर दिनांक 01.04.2021 से आगामी पांच वर्षों के लिये नवीनीकृत किया जाता है और पांच वर्ष उपरान्त नवीनीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। पूर्व आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

डा०(मुकुल कुमार सती)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

पृ०सं० शिविर(बे०)/ 14048-5/ /नवीनीकरण/2021-22 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मा०), देहरादून।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर०टी०ई० नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते रहें।
5. सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य।


मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।